



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 446 राँची, मंगलवार,

15 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

21 जुलाई, 2020

आदेश सं०-5/आरोप-1-441/2014 का०-3463-- श्री नागेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-532/03), तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रभारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम के विरुद्ध नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-832, दिनांक 05.03.2013 द्वारा वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक अक्षमता, दुराचार को बढ़ावा एवं अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्यों में शिथिलता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3521, दिनांक 27.04.2013 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री शर्मा द्वारा अपने पत्र दिनांक-02.07.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा सभी आरोपों का खण्डन करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री शर्मा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6641, दिनांक 23.07.2013 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की माँग की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास

विभाग के पत्रांक-4211, दिनांक 01.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय समीक्षा के क्रम में सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-691, दिनांक-24.01.2019 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-122, दिनांक-20.05.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को सही नहीं प्रतिवेदित किया गया।

अतः, समीक्षोपरांत श्री नागेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-532/03), तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रभारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
